FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

मंगलाराम बनाम आशाराम वगैरह

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं....../......... .सन्..2020

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	21.12.2020	

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। वकील प्रार्थी के कथनानुसार विवादग्रस्त बगैर विभाजन के आराजी में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा दखलन्दाजी करने एवं बैचान करने का अदेंशा होने से अप्रार्थीगण को अतरिंम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी तारिख पेशी दिनांक 21.01.2021 तक बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य कि जारी की जाती है कि मौजा गुलासर के खेत 570 रकबा 5.5847 हैक्टेयर, वादग्रस्त आराजी का बैचान,हस्तान्तरण,रहन नहीं करने व कच्चा पक्का मकान निमार्ण आदि नहीं करने एवं राजस्व रेकर्ड की यथारिथति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 को आगामी पेशी 21.01.2021 तक अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

नोटः–

1. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा **DILRMP** के कार्य पर एवं
2. अन्तर्गत धारा 251, 251 अ एल.आर. एक्ट पर प्रभावी नहीं रहेगी।
3. उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 21.01.2021 तक ही प्रभावी रहेगी।

अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 21.01.2021 पेश हो ।

सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

21.1.21

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी ने निवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया की हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिये हम दावा प्रार्थीपत्र को आगे चलाना नहीं चाहता है

प्रार्थी/ ...

इश्तिहार जारी निर्गत किया
किया जाता है।

अतः वकील प्रतिवादी के निवेदन
पर वकील प्रतिवादी को २२० दिनांक —
को जारी करते तथा वकील प्रतिवादी का —
उक्त प्रपत्र जारी निर्गत किया
किया जाता है पक्षकारों लिखित सूचना
देकर बाद जाँच रिपोर्ट समर्पित करें।

सहायक कलेक्टर
(SDO), खगड़िया